



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-112

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 248722 दिनांक 11/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Kunal Meena S/o R.P. Meena	श्रीमती अर्चना सिंधवी पुत्र श्री रजनीश सिंधवी	109	194.62 SQ. YARD	Private	SHREE RAM VIHAR Sector/Block-A	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	निजी खातेदारी योजना श्री राम विहार ए श्रीकिशनपुरा के भूखण्ड संख्या 109 क्षेत्रफल 194.62 व.ग. की लीज डीड दिनांक 26.10.2009 को श्रीमती अर्चना सिंधवी पुत्र श्री रजनीश सिंधवी को जारी किया गया है। उक्त भूखण्ड को बेचान श्रीमती अर्चना सिंधवी द्वारा श्रीमती मधु देवी पत्नी स्व. श्री लीलाराम कीर्तानी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.07.2012 को विक्रय किया गया है। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड को बेचान श्रीमती मधु देवी द्वारा श्री रामफूल मीणा पुत्र श्री भौरी लाल



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

मीणा को जरिये
रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र दिनांक
17.05.2013 को
विक्रय किया गया
है। अपलोड मृत्यु
प्रमाण-पत्र अनुसार
श्री रामफूल मीणा
पुत्र श्री भौरी लाल
मीणा की मृत्यु
दिनांक
07.08.2022 एवं
श्रीमती कलावती
मीणा पत्नी श्री
आर.पी.मीणा की
मृत्यु दिनांक
01.01.2013 को
हो चुकी है एवं
शपथ पत्र अनुसार
कुनाल मीणा पुत्र
श्री आर.पी.मीणा
को एकमात्र
वारिसान बताया
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Kunal Meena S/o R.P. Meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004